FIROZABAD POLICE
सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

सराहनीय कार्य थाना रसूलपुर दिनाँक 22-06-2025 जनपद फिरोजाबाद।

थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड मे दोनों अभियुक्त पैर मे गोली लगने से हुए घायल।

- अभियुक्तो के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अपाचे बाइक एवं विभिन्न घटनाओं में चोरी किये गये 41,200/- रूपये बरामद।
- अभियुक्त अर्जुन उर्फ घोडा पर विभिन्न जनपदों में डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।
- अभियुक्त दीपक उर्फ गुल्ला पर भी विभिन्न जनपदों मे करीब एक दर्जन से अधिक अभियोग दर्ज है।

दिनाँक 14-05-2025 को वादी मुन्नालाल पुत्र डिप्टी सिंह से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा मोटर साइकिल पर लिफ्ट माँगी गयी। लिफ्ट देने के पश्चात रास्ते में उक्त अभियुक्त ने वादी की जेब से 49 हजार रूपये चोरी कर लिये व मौके से भाग गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पर मु0अ0सं0 200/25 धारा 303(2) पंजीकृत किया गया था। तथा दिनाँक 04/04/2025 को वादी द्वारा थाना दक्षिण पर वादी से लिफ्ट माँगकर उसकी जेब से रुपये चोरी करने के सम्बन्ध सूचना दी गयी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 322/25 धारा 303(2) बीएनएस0 व दिनाँक 01/05/2025 को भी एक अन्य वादी से लिफ्ट माँगकर वादी की जेब से रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 419/25 धारा 303(2) बीएनएस0 पंजीकृत किया गया था।

उक्त चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। प्रकरणों की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1.अर्जुन उर्फ घोडा पुत्र मुन्नालाल, 2.गुल्ला उर्फ दीपक पुत्र अरविन्द उर्फ राजवीर का नाम प्रकाश में आया था। प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनाँक 22-06-2025 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई की जनपद में विभिन्न चोरी की घटनाओं को अंजाम देनें वाले अभियुक्तगण बरकतपुर रेलवे अण्डरपास पुल के पास किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को बाइक पर सवार 02 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिन्हे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जबावी कार्यवाही में दोनों अभियुक्तगण गोली लगने से घायल हो गये हैं। घायल अभियुक्तों की पहचान 1.अर्जुन उर्फ घोडा पुत्र मुन्ना निवासी विष्णुपुरा थाना बाह जनपद आगरा, 2.दीपक उर्फ गुल्ला पुत्र अरविन्द उर्फ राजवीर निवासी विष्णुपुरा थाना बाह जनपद आगरा के रुप में हुई है जो कि जनपद

में विभिन्न चोरी की घटनाओं में वांछित अभियुक्त हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, विभिन्न चोरी की घटनाओं में चोरी किये गये 41,200/- रूपये एवं 01 अपाचे बाइक बिना नम्बर प्लेट बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1.अर्जुन उर्फ घोडा पुत्र मुन्ना निवासी विष्णुपुरा थाना बाह आगरा।

2.दीपक उर्फ गुल्ला पुत्र अरविन्द उर्फ राजवीर निवासी विष्णुपुरा थाना बाह आगरा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अर्जुन उर्फ घोड़ा-

1. मु0अ0सं0 274/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना ताजगंज, आगरा।
2. मु0अ0सं0 338/19 धारा 379/411 भादवि0 थाना न्यू आगरा, आगरा।
3. मु0अ0सं0 753/19 धारा 379/411 भादवि0 थाना न्यू आगरा, आगरा।
4. मु0अ0सं0 1340/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना न्यू आगरा, आगरा।
5. मु0अ0सं0 290/23 धारा 120-बी/379/411/413 भादवि0 थाना शाहगंज, आगरा।
6. मु0अ0सं0 43/23 धारा 34/379/411 भादवि0 थाना चित्राहाट, आगरा।
7. मु0अ0सं0 184/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जैतपुर, आगरा।
8. मु0अ0सं0 154/24 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस थाना फतेहाबाद, आगरा।
9. मु0अ0सं0 235/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना फतेहाबाद, आगरा।
10. मु0अ0सं0 187/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना बाह, आगरा।
11. मु0अ0सं0 453/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना बाह, आगरा।
12. मु0अ0सं0 193/20 धारा 8/21/22 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना बाह, आगरा।
13. मु0अ0सं0 459/16 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।
14. मु0अ0सं0 1115/17 धारा 379/411 भादवि0 थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद।
15. मु0अ0सं0 142/17 धारा 379/411 भादवि0 थाना बढपुरा इटावा।
16. मु0अ0स0 07/22 धारा 379 भादवि0 थाना कोतवाली लश्कर, ग्वालियर, म0प्र0।
17. मु0अ0सं0 200/25 धारा 303(2) बी.एन.एस थाना रसूलपुर फिरोजाबाद
18. मु0अ0सं0 322/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना दक्षिण फिरोजाबाद
19. मु0अ0सं0 419/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना दक्षिण फिरोजाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक उर्फ गुल्ला-

1. मु0अ0सं0 48/20 धारा 363 भादवि0 थाना बाह, आगरा।
2. मु0अ0सं0 190/21 धारा 379/511 भादवि0 थाना फतेहाबाद, आगरा।
3. मु0अ0सं0 176/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना फतेहाबाद, आगरा।
4. मु0अ0सं0 26/23 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना बाह, आगरा।
5. मु0अ0सं0 70/23 धारा 414 भादवि0 थाना बरसाना, मथुरा।
6. मु0अ0सं0 765/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जी.आर.पी कैन्ट, आगरा।
7. मु0अ0सं0 764/18 धारा 401 भादवि0 थाना जी.आर.पी कैन्ट, आगरा।
8. मु0अ0सं0 35/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना रिफायनरी, मथुरा।
9. मु0अ0सं0 758/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना जी.आर.पी कैन्ट, आगरा।
10. मु0अ0सं0 749/18 धारा 380/411 भादवि0 थाना जी.आर.पी. कैन्ट, आगरा।
11. मु0अ0सं0 83/22 धारा 392 भादवि0 व 11/13 म0प्र0 डकैती व व्यपहरण प्रभावित अधि0 थाना थाटीपुर ग्वालियर, म0प्र0
12. मु0अ0सं0 200/25 धारा 303(2) बी.एन.एस थाना रसूलपुर फिरोजाबाद
13. मु0अ0सं0 322/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना दक्षिण फिरोजाबाद
14. मु0अ0सं0 419/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना दक्षिण फिरोजाबाद

बरामदगी का विवरणः-

1. दो अदद अवैध तमंचा 315 बोर।
2. दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
3. चार अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
4. 41,200/- रूपये (विभिन्न प्रकरणों में चोरी किये हुए)
5. एक अदद बाइक टीवीएस अपाचे 160 4v ब्लैक कलर (207 एम.वी. एक्ट सीज)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 प्रदीप कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 अजय अवाना थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 आयुष राणा थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 ऋषभदेव भारद्वाज थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
5. है0का0 1023 आफताव थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
6. है0का0 712 शैलेन्द्र थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
7. है0का0 434 लोकेन्द्र थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
8. है0का0 88 विवेक थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
9. है0का0 601 उपेन्द्र थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
10. है0का0 544 मुकेश थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।